संख्या-66/2016/2365 ई-2/तेरह-2016-150/2012

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 10 नवम्बर,2016

विषय:-मेसर्स तनसुख हर्बल प्रा0लि0, महाराजा अग्रसेन नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ को पार्ट टाइम एल0-1 एवं एन0डी0एल0डी0 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4292/चौबीस-226/2011, दिनांक 05-12-2012, पत्र संख्या-जी-117/चौबीस-226/2011, दिनांक 23-01-2013, पत्र संख्या-जी-92/चौबीस-226/2011, दिनांक 02 सितम्बर,2015 तथा प्रकरण में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 10-02-2016 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या-एम0एस0-09 ई-2/तेरह-2016-150/2012, दिनांक 22 फरवरी,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 10-02-2016 को सम्पन्न बैठक में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स तनसुख हर्बल प्रा0लि0, महाराजा अग्रसेन नगर, सीतापुर रोड, लखनऊ को अफीम एवं भांगयुक्त औषधियों के निर्माणार्थ पार्ट टाइम एल0-1 तथा एन0डी0एल0डी0 अनुज्ञापन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृत करने की अनुमति एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) टायलेट प्रिपरेशन्स के निर्माण के दौरान कोई छीजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) इकाई के लिये मेडिसिन एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) रूल्स,1956 के प्राविधान व एल0-1 एवं एन0डी0एल0डी0 की अनुज्ञापन की शर्तों का प्रत्येक दशा में अनुपालन अनिवार्य होगा।

(3) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मेडिसिन एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) रूल्स,1956 के अन्तर्गत जो भी नियम व शर्तें निर्धारित की जायेंगी, उसका इकाई द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(4) इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यथा आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा इकाई द्वारा स्थानीय विधियों, श्रम विभाग, पर्यावरण विभाग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की सुसंगत विधियों में विहित व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करते हुये आवश्यक अनापत्ति/पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत क्षमता के अन्तर्गत औषधि निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

( विनोद कुमार तिवारी )

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।